

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Apppendix 'D'-1)

अज अदालत  
व इजलास  
वादी-

सहायक कलक्टर धोरीमना  
श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

मुकाम धोरीमना

सेडवा, जिला

- जीयोदेवी पुत्री केहराराम पत्नि चोखाराम जाति विश्नोई, निवासी मानसिंह की बेरी, खारी तहसील धोरीमना हाल निवासी सदराम की बेरी, सांवा, तहसील बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

- पेमाराम पुत्र केहराराम
- सुखराम पुत्र केहराराम
- रूगनाथराम पुत्र तुलछाराम
- रामजीवन पुत्र तुलछाराम
- सुरेश कुमार पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई, निवासी मानसिंह की बेरी, खारी तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।
- शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
- तहसीलदार, धोरीमना जिला बाड़मेर।

वाद बाबत **88,40,91,188 RT Act.**

मुकदमा नं. 105/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री मोहनलाल खिलरी एड. मिनजानिब मुदाई व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मानसिंह की बेरी पटवार क्षेत्र खारी तहसील धोरीमना में खसरा संख्या 94 रकबा 17.6119 हैक्टर व मौजा भारते की बेरी पटवार मण्डल खारी के खसरा संख्या 223/84 रकबा 15.7261 हैक्टर की भूमि पैतृक होने से वादीनी का मूल रकबे के अनुसार 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ सहखातेदार हिस्सा घोषित किया जाता है।

तहसीलदार धोरमना को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा .....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अजी के लिए स्टाम्प	
3 प्रद रों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह		आदी ाका की तामिल	
6 कमि नर की फीस		कमि नर की फीस	
7 आदी ाका की तामिल			
जोड़		जोड़	

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना

